## न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 167/18

वासुदेव पुत्र रतीराम गुर्जर निवासी ग्राम घिरोंगी थाना मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड,म०प्र०

----आवेदक

বিক্তৰ

पुलिस थाना मालनपुर

——अनावेदक

10-05-2018

आवेदक / अभियुक्त वासुदेव की ओर से श्री एम0एस0 यादव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

विचारण न्यायालय (अमित कुमार गुप्ता जे०एम०एफ०सी०) गोहद से मूल आपराधिक प्र०क० 157/18 शा०पु० मालनपुर विरूद्ध वासुदेव प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त वासुदेव की ओर से अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव द्वारा जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन धारा 437 दं0प्र0सं0 का निरस्त हो जाने के पश्चात् प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधि. श्री एम0एस0 यादव द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं० के संबंध में निवेदन किया कि आवेदक के विरुद्ध एक झूंठा मामला पुलिस द्वारा कायम कर लिया है, जबिक आवेदक का किसी भी घटना से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक निर्दोष है। कथित अपराध मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। आवेदक विगत तीन माह से उपजेल गोहद में बंद है। प्रकरण के निराकरण में काफी समय लगने की संभावना है। आवेदक नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा अभियोजन साक्षियों को प्रभावित नहीं करेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन अनुसार दिनांक 29.03.18 को फरियादी मान सिंह द्वारा पानी का टेंकर सिंहत टैक्टर क्रमांक एम0पी0 30 एए 4889 कीमती 5,60,000 / — रूपये को घर के बाहर से चोरी कर लिये जाने के संबंध में संदेही अभियुक्त वासुदेव के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

उक्त रिपोर्ट पर से संदेही अभियुक्त / आवेदक वासुदेव के विरुद्ध पुलिस थाना मालनपुर में में अपराध कमांक 61/18 अंतर्गत धारा 379 भा0दं०सं० के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो कि 5,60,000/— रूपये कीमती टैक्टर व टेंकर चोरी चले जाने के संबंध में दर्ज किया गया है। विवेचना के अनुक्रम में उक्त सोनालिका टैक्टर अभियुक्त की निशादेही पर उसके मेमोरेण्डम अनुसार जप्त किया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा प्रकरण के साथ थाना प्रभारी मालनपुर द्वारा आवेदक / अभियुक्त वासुदेव का आपराधिक रिकॉर्ड संलग्न करते हुये कुल 22 अपराध दर्ज होना बताये गये हैं, जिनमें से अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का प्रयास व लूट एवं चोरी व आकामक आयुध कट्टा बगैरह रखने के भी अपराध दर्ज हैं, जिससे आवेदक / अभियुक्त आदतन गंभीर किरम का अपराधी होना प्रकट है एवं वर्तमान परिवेश में चोरी की घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है।

अतः उपरोक्तानुसार आपराधिक रिकॉर्ड एवं अपराध की गंभीरता सिहत मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः आवेदक वासुदेव की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद